"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016—— अग्रहायण 5, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–3/2016/18. —— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में :–

नियम 2 के खण्ड (ग) में, जहां कहीं भी शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (क) एवं (ख)" आयें हों के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (क), (ख) एवं (ग)" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 1–3/2016/18. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–3/2016/18, दिनांक 18–11–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, 18th November 2016

NOTIFICATION

No F 1-3/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and Section 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Procedure for Conduct of Business) Rules, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

In clause (c) of rule 2, for the words and symbols "clause (a) and (b)", wherever it occurs, the words and symbols "clause (a), (b) and (c)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.